न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—203/2021/225 आर.टी.एक्ट (2021/203)

1. श्रीमती भंवरी देवी पत्नी स्व0 श्री पूनमचंद, जाति रेगर, निवासी ग्राम दौराई तहसील, जिला अजमेर। **(नाम तर्क)**
2. श्री शिवराज पुत्र स्व0 श्री पूनमचंद, जाति रेगर, निवासी ग्राम दौराई तहसील, जिला अजमेर।
3. श्री मदन पुत्र स्व0 श्री पूनमचंद, जाति रेगर, निवासी ग्राम दौराई तहसील, जिला अजमेर।
4. श्री सोनू पुत्र श्री शिवराज, जाति रेगर, निवासी ग्राम दौराई तहसील, जिला अजमेर।

अपीलार्थी/अप्रार्थीगण

बनाम

1. श्री नौरतमल पुत्र स्व0 श्री हजारी, जाति रेगर, निवासी ग्राम दौराई, तहसील, व जिला अजमेर।
2. श्री श्रवण पुत्र स्व0 श्री हजारी, जाति रेगर, निवासी ग्राम दौराई, तहसील, व जिला अजमेर।
3. गीता पुत्री स्व0 श्री हजारी, जाति रेगर, निवासी ग्राम दौराई, तहसील, व जिला अजमेर।
4. कमला पुत्री स्व0 श्री हजारी, जाति रेगर, निवासी ग्राम दौराई, तहसील, व जिला अजमेर।
5. श्री रामदेव दत्तक पुत्र स्व0 श्री भगवान, जाति रेगर, निवासी ग्राम दौराई, तहसील, व जिला अजमेर।
6. श्रीमती माया पत्नी स्व0 श्री शंकर पुत्रवधु स्व0 श्री रामचंद्र, जाति रेगर, निवासी ग्राम दौराई, तहसील, व जिला अजमेर।
7. श्री लालचंद पुत्र स्व0 श्री शंकर, पौत्र स्व0 श्री रामचंद्र, जाति रेगर, निवासी ग्राम दौराई, तहसील, व जिला अजमेर।
8. श्री कालू पुत्र स्व0 श्री शंकर, पौत्र स्व0 श्री रामचंद्र, जाति रेगर, निवासी ग्राम दौराई, तहसील, व जिला अजमेर।

प्रत्यार्थी/प्रार्थीगण

9. श्री हेमराज पुत्र स्व0 श्री जीवण, जाति जाट, निवासी ग्राम दौराई, तहसील व जिला अजमेर।
10. श्रीमती हरजू देवी पत्नी स्व0 श्री जीवण, जाति जाट, निवासी ग्राम दौराई, तहसील व जिला अजमेर।
11. आशा पुत्री स्व0 श्री जीवण, निवासी दौराई, तहसील व जिला अजमेर।
12. इन्द्रा पुत्री स्व0 श्री जीवण, निवासी दौराई, तहसील व जिला अजमेर।
13. श्रीमती गेन्दी देवी पत्नी स्व0 श्री श्रवण, निवासी दौराई, तहसील व जिला अजमेर।
14. महेन्द्र पुत्र स्व0 श्री श्रवण, निवासी दौराई, तहसील व जिला अजमेर।
15. छोटी देवी पत्नी स्व0 श्री कैलाश, निवासी दौराई, तहसील व जिला अजमेर।
16. प्रदीप पुत्र स्व0 श्री कैलाश, निवासी दौराई, तहसील व जिला अजमेर।
17. संतोष पुत्र श्री श्योचंद, निवासी दौराई, तहसील व जिला अजमेर।
18. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, अजमेर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

प्रत्यार्थी/अप्राथीगण

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.10.2021 राजस्व वाद संख्या 01/2021

उपस्थितः–

1. श्री शिशिर विजयवर्गीय, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री राजेन्द्र सिंह रावत, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1, 2, 5 से 8
3. श्री शिव प्रकाश, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 9
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 18.
5. रेस्पोडेंटस संख्या 3, 4, 10 से 17 अनुपस्थित.

निर्णय

दिनांकः–30.11.2022

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के द्वारा प्रकरण संख्या 01/2021 में पारित आदेश दिनांक 26.10.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी/प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पूर्वज पीथा की तन्हा खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात खसरा नम्बर 1889, 1892, 1945, 1946, 1944, 1888 ग्राम दौराई तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है। पीता का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान प्रार्थीगण उक्त आराजीयात पर सह–खातेदार संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 1889 के पूर्व दिशा में 1884 अप्रार्थी संख्या 1 से 04 की आराजी अवस्थित है। उक्त खसरा के दक्षिण दिशा की ओर खातेदारी की भूमि के लगता हुआ रास्ता जिसके खसरा नम्बर 1994 अवस्थित है व पश्चिम दिशा की ओर खसरा 1890 अप्रार्थीगण संख्या 5 से 13 की आराजी अवस्थित है। उक्त वर्णित रास्ता पीढ़ियो से विवादित खेतो पर आने–जाने के रास्ते हेतु प्रयोग होता आ रहा है आज भी उपयोग एवं उपभोग में लिया जा रहा है लेकिन नक्शा ट्रेश में रास्ता दर्शित है फिर भी अप्रार्थीगण उक्त मार्ग का प्रयोग करने मे आये दिन ट्रेक्टर, फसल वाद, बीज, चारा, बैलगाड़ी लाने ले जाने एवं आने–जाने में दखलदांजी करते है। प्रार्थीगण के खेतो पर आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण की खातेदार की भूमि खसरा नम्बर 1888, 1889, 1892, 1939 है जिस पर सिंचाई हेतु कुआ जो खसरा नम्बर 1945 चाह है जिस पर आने–जाने हेतु दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 1994 रास्ता अंकित है, रास्ता प्रदान कराने के आदेश प्रदान करावे। प्रकरण को कैम्प कोर्ट में दिनांक 26.10.2021 को नियत किया गया। जहां बिना अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिए ही विधि विरूद्ध रूप से अपीलार्थी के जवाब व प्राथमिक आपत्ति के तथ्यों के नजर अंदाज करते हुए तथा स्वयं के स्थगन आदेश के बावजूद स्पष्ट आदेश दिनांक 26.10.2021 द्वारा प्रत्यर्थी/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 26.10.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 5 से 8, 9 की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4, 10 से 17 अनुपस्थित नहीं।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य को नजर अंदाज कर दिया कि धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम केवल खातेदार द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा एक आपत्ति प्रार्थना पत्र भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया हुआ था। जिस पर कोई सुनवाई किए बिना अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित कर दिया। प्रत्यर्थीगण द्वारा अविधिक रूप से अपीलार्थी की आराजी पर बिना विधिक प्रक्रिया के खड़ी फसल को नुकसान कारित करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 से 8 की आराजी बाबत एक रास्ता जे0सी0बी से बना दिया तथा उस पर तारबंदी कर दी। जिस संबंध में अपीलार्थी द्वारा एक नियमित राजस्व वाद संख्या 09 सन् 2021 भंवरी देवी बनाम नौरत मल का प्रस्तुत किया। जिसके साथ एक अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र संख्या 7 सन् 2021 भी प्रस्तुत कर अंतरिम निषेधाज्ञा का निवेदन किया गया था। जिस पर स्वयं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यार्थी के अविधिक कृत्य के कारण अपीलार्थी की आराजी में आवाजाही व अविधिक रूप से घुसने बाबत स्थगन दिनांक 15.2.2021 द्वारा पाबंद किया हुआ है। ऐसी स्थिति में मूल वाद के विचाराधीन होने के बावजूद इस प्रकार का निर्णय पारित किया जो निरस्तनीय है। प्रत्यर्थी/प्रार्थीगण के परिवार की सम्पत्ति खसरा नम्बर 1888, 1889, 1892, 1939, 1945 स्थित है जो सभी संयुक्त रूप से अवस्थित है तथा खसरा नम्बर 1883, 1885, 1887/2828 व 1887 पर विद्यमान रास्ते से लगवा है। जिसका उपयोग आज दिनांक तक प्रत्यर्थी/प्रार्थीगण द्वारा तथा अन्य ग्राम वारियों द्वारा किया जाता रहा है। रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण 1 से 08 के पास खसरा नम्बर 1994 से होते हुए खसरा नम्बर 1883, 1885, 1887/2828 व 1887 में से राजने का रास्ता पूर्व में ही विद्यमान है। खसरा नम्बर 1884 की आराजी अप्रार्थी उत्तरकर्ता के पूर्वज पूनमचन्द पुत्र अर्जुन लाल की आराजी रही है जिनका निधन दिनांक 27.09.2019 को हो गया है जिनके समस्त वारिसान को प्रार्थीगण द्वारा पक्षकार नहीं बनाया जाकर पूर्व में एक प्रार्थना पत्र संख्या 18/2020 प्रस्तुत किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने आवश्यक पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाये जाने से खारिज कर दिया था। प्रार्थीगण द्वारा पुनः आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाते हुए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार, अजमेर की रिपोर्ट दिनांक 31.03.2021 व 26.10.2021 को आधार बनाकर, अपीलार्थीगण को उक्त रिपोर्ट के संबंध में समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करते हुए निर्णय पारित किया जो निरस्तनीय है। उपखण्ड अधिकारी ने स्वयं मूल वाद संख्या 09 सन् 2021 के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र संख्या 7 सन् 2021 में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रतिकूल आक्षेपित आदेश पारित किया है। जो विधि के स्थापित सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.10.2021 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अप्रार्थीगण के पूर्वज पीथा की तन्हा खातेदारी/काश्तकारी की

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

आराजीयात खसरा नम्बर 1889, 1892, 1945, 1946, 1944, 1888 ग्राम दौराई तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है। पीथा का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान अप्रार्थीगण उक्त आराजीयात पर सहखातेदार संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 1889 के पूर्व दिशा में 1884 खसरा प्रार्थी संख्या 1 से 4 की आराजी है। उक्त खसरा नम्बर के दक्षिण दिशा की ओर खातेदारी की भूमि के लगता हुआ रास्ता जिसके खसरा नम्बर 1994 अवस्थित है व पश्चिम दिशा की ओर खसरा 1890 प्रार्थीगण संख्या 5 से 13 की आराजी हैं। उक्त वर्णित रास्ता पीढ़ियों से विवादित खेतों पर आने जाने के रास्ते हेतु प्रयोग होता आ रहा है व आज भी उपयोग एवं उपभोग में लिया जा रहा है। लेकिन नक्शा ट्रेस में रास्ता दर्शित है फिर भी प्रार्थीगण उक्त मार्ग का प्रयोग करने में आए दिन ट्रेक्टर फसल खाद बीज चारा बैलगाड़ी लाने ले जाने एवं आने जाने में दखलअंदाजी करते हैं। अप्रार्थीगण के खेतों पर आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है एवं यह रास्ता पीढ़ियों से उपयोग एवं उपभोग में लिया जा रहा है। जिससे नक्शा ट्रेस में 30 फुट चौड़ा रास्ता दर्शित कर जमाबंदी में उक्त रास्ते को सार्वजनिक आम रास्ता अंकित किया जाकर अप्रार्थीगण को प्रदान किया जाना न्यायोचित है। 30 फुट चौड़े रास्ते के रूप में अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1889 तक दर्शाया जाकर अधिकार अभिलेख में उक्त रास्ते को सार्वजनिक आम रास्ता दर्ज किया जावे एवं उक्त रास्ते में शामिल होने वाली भूमि की कीमत अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थीगण को प्रदान करने का आदेश प्रदान करें। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 26.03.2021 को विस्तृत मौका रिपोर्ट बनायी गयी है जिसमें भी कथन किया कि प्रार्थी के खातेदारी के आप–पास अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कैम्प कोर्ट में अप्रार्थी संख्या 04 सोनू उपस्थित हुआ किन्तु हस्ताक्षर से इंकार कर दिया।

6. मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से से प्राथमिक आपत्ति दिनांक 17.03.2021 को प्रस्तुत की गई थी। जिसका निस्तारण किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण किया है तथा मौका रिपोर्ट जो पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गई है जिसमें किसी पक्षकार के भी हस्ताक्षर नही है। विधि अनुसार मौका रिपोर्ट गिरदावर या तहसीलदार द्वारा उभय पा की उपस्थिति में तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करनी चाहिए जिस पर उभयपक्षकारान को सुनने के बाद निर्णय पारित करना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रभावित पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर भी नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा आदेश कैम्प कोर्ट में किया गया है। कैम्प कोर्ट में केवल सहमति के आधार पर निर्णय किया जाना संभव है। उपरोक्त कारणों से अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

न्यायालय का आदेश निरस्त योग्य है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

8. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, अजमेर का आदेश दिनांक 26.10.2021 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे तहसीलदार स्वयं मौका निरीक्षण करे या निरीक्षक भू–अभिलेख से नीचे स्तर से कम अधिकारी से निरीक्षण न कराये तथा मौके रिपोर्ट उभय पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार करें। प्रभावित पक्षकारो से आपत्तिया आमत्रित कर,आपत्तियों का निस्तारण करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण सप्ताह भर की तारीख पेशी नियत कर प्रार्थना पत्र का निस्तारण 30 दिवस में करे। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.12.2022 को उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर